

11/1/17

वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। उन्हें उजलाप दे उन्हें वकालत
शेक कर आवेज लगवौस दे बावजूद कोई उपस्थित नहीं भाया। उपस्थित
प्रतिवादी वकील ने अकाल कराया कि वादी गोपाल की मृत्यु
दिनांक 21-5-2016 को राम खूरिया के मृत्यु हो चुकी है उसके
LR बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है प्रकरण अकेला वादी
गोपाल ही था स्वयं गोपाल के वकील ने न्यायालय को दिनांक
2-09-16 को अकाल करा दिया था कि वादी की मृत्यु हो गई
है उसके LR हेतु माननीय न्यायालय द्वारा समय भी दिया गया
लेकिन आदिवासी कोई आवेदन पेश नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति
में प्रकरण पर कार्यवाही जाबला डीवानी आदेश 22 नियम 9(3) के तहत
स्वतः ही अवेट हो चुकी है अतः दावे पर कार्यवाही अवेट फर्माई
जावे। वकील प्रतिवादी के लक्ष न्याय संगत है। वाद कार्यवाही अवेट
की जाती है। मिमल कैसल शुमार हो। नम्बर से कवर लेकर वरिष्ठ
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

